**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 135/2024

अनवान : –

1. वाजिद पुत्र रज्जाक जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 23 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. अरसद पुत्र रज्जाक जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 23 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. हलीमा पुत्री जमालदीन पत्नि नवाबदीन– फौत

   3/1 फरोज पुत्र हलीमा पुत्री जमालदीन पत्नि नवाबदीन जाति कुम्हार निवासी डिग्री कॉलेज के सामन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

   3/2 हुसना पुत्री हलीमा पुत्री पत्नि युसफ जाति कुम्हार निवासी म तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

   3/3 बशीरा पुत्री स्व. हलीमा पत्नि शौकिन जाति कुम्हार निवासी मन्दरंपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– सायलान

**बनाम्**

1. रज्जाक पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 23 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. बलकिसा पुत्री जमालदीन पत्नि नेक मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. जैतुन पुत्री जमालदीन पत्नि रसीद जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
4. सफीया पत्नि सतार खां जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 23 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
5. मुस्ताक पुत्र सतार खां पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं: 32 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
6. आरिफ पुत्र सतार खां पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 32 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
7. आमना बानो पुत्री सतार खां पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 32 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
8. नसरीना पुत्री सतार खां पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 32 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
9. सलमा पुत्री सतार खां पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 32 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
10. सुमैया बानो पुत्री सतार खां पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 32 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
11. जैबुदा पत्नि शरीफ पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 32 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
12. तैयब पुत्र सरीफ पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 35 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:56:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

— गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :— 1. श्री संजय जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

**निर्णय** दिनांकः 28/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि सायलान गैरसायलान की सांझा खाता की पैतृक कृषि भूमि रोही मौजा चक 1 एन.एच.आर.—बी पटवार हल्का चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 111/110 के प.न. 311/436 मु.न. 43 के किला नं. 15/1, 15/2, 16/1, 16/2 की गै.मु. खाला 0.0500 हैक्टर भूमि नहरी 0.4560 हैक्टर भूमि प.न. 312/436 मु.न. 42 के किला नं. 11, 12, 19, 20,21, 22 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि प.न. 312/437) मु.न. 45 के किला नं. 1/1, 1/2.2/1. 2/2 व 9 ता 10 की 0.0500 हैक्टर गै.मु. मुमकिन रास्ता व 1.4680 हैक्टर नहरी भूमि इस प्रकार कुल 18 किता की 3.5420 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद वर्णित भूमि सायलान सं. 1 व 2 की पैतृक सम्पति है जिसमें उनका बर्थ राईट है चूंकि गैरसायल सं. 1 जो सायालन सं. 1, 2 का पिता है उक्त भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को अन्यत्र वैय करने पर उतारू है नित नये ग्राहक भूमि को देखने के लिए आते है यदि गैरसायल सं. 1 के द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो हम सायलान को अपूर्णीय क्षति निश्चित है जिसकी भरपाई किसी भी कदर सम्भव नहीं है इस प्रकार सायलान सं. 1 व 2 अपने पिता गैरसायलान सं. 1 के साथ ब.हि. ब. उक्त हिस्सा को दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायल सं. 1 के पास सबसे निम्न किस्म की भूमि है वर्तमान मे इनकी कब्जा काश्त किस्म कम उपजाउ भूमि पर है और गैरसायलान सं. 2 व 3 ने अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि के 2 बीधा सार्वजनिक रास्ता लगता है तथा उसकी चिपती हुई सम्पूर्ण भूमि पर गैरसायलान सं. 2 व 3 ने कब्जा कर रखा है जिस कारण सायल सं. 3 के साथ व अन्य काश्तकारो के साथ सींव डोल व लगान रास्ते आदि का तनाजा सायलान गैरसायलान में बना रहता है जिससे शारारिक व मानसिक नुकशान सायलान को होता है इस प्रकार सायलान उक्त वाद वर्णित भूमि का खाता व लगान अलग—अलग करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायलान अपने हिस्से की भूमि को व गैरसायलान सं. 2 व 3 अपने हिस्से की अच्छी किस्म की भूमि को अन्यत्र बैचान कर फरोख्त कर देते है तो सायलान को कभी ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा। अन्यत्र वादो [illegible] सायलान के लिए रास्ते का सकंट यू ही बना रहेगा। अतः सायलान गै[illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है कि वे वाद [illegible] हक व हिस्सा की भूमि को दौराने वाद रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे। अ[illegible] अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:36:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु०)

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 111/110 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायलान उक्त भूमि में किसी कदर खातेदार काश्तकार नही है तथा न ही उनकी पैतृक कृषि भूमि है मुस्लिम विधि में पिता के जीवन काल में पुत्रों का कोई हक हिस्सा नही होता है। इसलिए सायलान का उक्त भूमि मे जन्मजात हिस्सा भी नही है। सायलान को उत्तरदाता के विरूद्ध कोई दावा या प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है। सायलान रिकार्डेड खातेदार नही है इसलिए सींव व डोल के विवाद का कोई प्रश्न ही नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उपरोक्त वाद वर्णित भूमि सायलान सं. 1 व 2 की पैतृक सम्पति है जिसमें उनका बर्थ राईट है चूंकि गैरसायल सं. 1 जो सायालन सं. 1, 2 का पिता है उक्त भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को अन्यत्र वैय करने पर उतारू है नित नये ग्राहक भूमि को देखने के लिए आते है यदि गैरसायल सं. 1 के द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो हम सायलान को अपूर्णीय क्षति निश्चित है जिसकी भरपाई किसी भी कदर सम्भव नहीं है इस प्रकार सायलान सं. 1 व 2 अपने पिता गैरसायलान सं. 1 के साथ ब.हि.ब. उक्त हिस्सा को दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायल सं. 1 के पास सबसे निम्न किस्म की भूमि है वर्तमान मे इनकी कब्जा काश्त किस्म कम उपजाउ भूमि पर है और गैरसायलान सं. 2 व 3 ने अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि के 2 बीधा सार्वजनिक रास्ता लगता है तथा उसकी चिपती हुई सम्पूर्ण भूमि पर गैरसायलान सं. 2 व 3 ने कब्जा कर रखा है गैरसायलान अपने हिस्से की भूमि को व गैरसायलान सं. 2 व 3 अपने हिस्से की अच्छी किस्म की भूमि को अन्यत्र बैचान कर फरोख्त कर देते है तो सायलान को कभी ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 (2) सीपीसी एवं इस्तगासा 126 व 135(3) बीएनएस की प्रमाणित प्रति पेश कर निवेदन किया की बलकीशा आदि द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की सायलान उक्त भूमि में किसी कदर खातेदार काश्तकार नही है तथा न ही उनकी पैतृक कृषि भूमि है मुस्लिम विधि में पिता के जीवन काल में पुत्रों का कोई हक हिस्सा नही होता है। इसलिए सायलान का उक्त भूमि मे जन्मजात हिस्सा भी नही है। सायलान को उत्तरदाता के विरूद्ध कोई दावा या प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है। सायलान रिकार्डेड खातेदार नही है इसलिए सींव व डोल के विवाद का कोई प्रश्न ही नही है। उक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:56:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर मनन किया एवं हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के

प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 111/110 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज है। सायलान द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने एवं खाता व लगान अलग करवाने बाबत यह वाद पेश किया गया है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि को प्रार्थीग्ण अपने नाम बहिब दर्ज करवाकर खाता व लगान अलग करवा पाने के अधिकारी है जबकि मुस्लिम विधि के मुताबिक पिता के जीवनकाल में उसके वारिसान का कोई हक हिस्सा है अतः सायलान का जब हिस्सा ही नही है तो सायलान प्रार्थना पत्र पेश करने के भी अधिकारी है एवं संयुक्त खाते का कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी हक हिस्सा की भूमि के उपयोग व उपभोग हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है उक्त बिन्दु अवमानना प्रार्थना पत्र में तय होना है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 13.06.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...28/11/25.....मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:56:21 IST
Reason: SelfAttested